भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2389

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

2389. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लाभार्थियों सहित पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में, विशेषकर उस्मानाबाद और परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित आवासों का जिला-वार, ग्राम-वार और तहसील-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2022 से अब तक इस योजना के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य में, पीएमएवाई-जी के तहत 20,11,194 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी तुलना में राज्य ने दिनांक 05.12.2024 तक 19,26,494 लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए हैं और 12,61,014 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। यह मंत्रालय समग्र रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लक्ष्य आवंटित करता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला-वार/ब्लॉक-वार/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। दिनांक 05.12.2024 तक उस्मानाबाद (धाराशिव) और परभनी संसदीय क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित/लक्षित, स्वीकृत और निर्मित आवासों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

स्वीकृत और निर्मित आवासों का जिला-वार, ब्लॉक-वार और ग्राम पंचायत/ ग्राम-वार ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in--->AwaasSoft--->Reports--->Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के आवासों के निर्माण हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों तक योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.33 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से उन्होंने दिनांक 05.12.2024 तक 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए हैं और 2.68 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका हैं। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंड के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वेक्षण करवाने के लिए दिनांक 17.09.2024 को आवास+ 2024 मोबाइल ऐप की शुरूआत पहले ही की जा चुकी है।

(ङ): पीएमएवाई-जी के तहत, वित्त वर्ष 2022-23, 2023-2024 और 2024-25 (दिनांक 05.12.2024 तक) के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई निधियाँ (रुपए करोड़ में)**
2022-23	44,962
2023-24	23,050
2024-25 (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	10,764
कुल	**78,776**

(च) और (छ): पीएमएवाई-जी के तहत, प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। माननीय संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से सूचित अनियमितताओं के मामलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है। पीएमएवाई-जी की शुरुआत अर्थात दिनांक 01.04.2016 से 05.12.2024 तक, ग्रामीण विकास मंत्रालय को पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में सीपीजीआरएएमएस पर कुल 2,325 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती है, इसलिए इन शिकायतों को इस मंत्रालय को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। प्राप्त 2,325 शिकायतों में से 2,315 का समाधान दिनांक 05.12.2024 तक कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2389 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या नीचे दी गयी है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22 में स्वीकृत आवास	2022-23 में स्वीकृत आवास	2023-24 में स्वीकृत आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	10,784	2,594	3
2	असम	2,16,235	10,51,740	2,14,216
3	बिहार	8,98,444	1,32,540	771
4	छत्तीसगढ़	371	81,373	57
5	गोवा	47	17	0
6	गुजरात	1,06,636	1,46,287	26,092
7	हरियाणा	3,312	5,086	56
8	हिमाचल प्रदेश	2,729	792	10,011
9	जम्मू और कश्मीर	55,807	7,786	1,37,201
10	झारखंड	3,90,112	11,582	75
11	केरल	12,586	1,612	2
12	मध्य प्रदेश	4,89,772	7,52,977	58
13	महाराष्ट्र	1,16,026	2,86,966	907
14	मणिपुर	1,725	13,845	58,256
15	मेघालय	3,335	8,801	1,16,234
16	मिजोरम	0	6,951	9,484
17	नागालैंड	9,750	4,187	25,945
18	ओडिशा	3,313	8,86,800	932
19	पंजाब	10,872	4,676	105
20	राजस्थान	3,85,807	7,378	35

21	सिक्किम	273	47	0
22	तमिलनाडु	2,15,613	35,079	9,403
23	त्रिपुरा	1,57,135	51,819	1,19,121
24	उत्तर प्रदेश	4,34,597	8,57,792	1,50,668
25	उत्तराखंड	15,361	18,599	22,065
26	पश्चिम बंगाल	1,66,586	11,06,780	201
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	6	1,948
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	47	908	4,921
29	लक्षद्वीप	0	0	0
30	आंध्र प्रदेश	0	1,78,895	11
31	कर्नाटक	3,649	37,607	43,883
32	लद्दाख	450	1	1,125
कुल		**37,11,374**	**57,01,523**	**9,53,786**

अनुबंध-II

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2389 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएवाई-जी के तहत विशेष रूप से उस्मानाबाद (धाराशिव) और परभणी संसदीय क्षेत्र में दिनांक 05.12.2024 तक आवंटित/लक्षित, स्वीकृत और निर्मित आवासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले का नाम	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास
उस्मानाबाद (धाराशिव)	**उस्मानाबाद (धाराशिव)**	20,925	20,119	11,488
	लातूर	33,481	32,392	16,753
	सोलापुर	59,586	57,383	39,839
	कुल	**1,13,992**	**1,09,894**	**68,080**
परभणी	**परभणी**	32,833	30,771	15,536
	जालना	45,494	41,111	20,957
	कुल	**78,327**	**71,882**	**36,493**

*****